

FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.
(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. District (जिला): ACB DISTRICT P.S. (थाना): C.P.S Jaipur Year (वर्ष): 2024
2. FIR No. (प्र.सू.रि.सं): 0254 Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय): 08/11/2024 18:41 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	13(1)(b)
2	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	13(2)

3. (a) Occurrence of offence (अपराध की घटना):

1. Day(दिन): शुक्रवार Date From (दिनांक से): 20/09/2024 Date To (दिनांक तक): 20/09/2024
- Time Period (समय अवधि): पहर Time From (समय से): 10:30 बजे Time To (समय तक): 16:30 बजे
- (b) Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई): Date (दिनांक): 08/11/2024 Time (समय): 15:00 बजे
- (c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ): Entry No. (प्रविष्टि सं.): 002 Date & Time (दिनांक एवं समय): 08/11/2024 18:41:49 बजे

4. Type of Information (सूचना का प्रकार): लिखित

5. Place of Occurrence (घटनास्थल):

1. (a) Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी): WEST, 10 किमी Beat No. (बीट सं.): NOT APPLICABLE
- (b) Address(पता): JAIPUR AGARA RASHTIRYA RAJ MARG NO-21, LUDHAWAI TOLL PLAZA NEAR
- (c) In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)
- Name of P.S (थाना का नाम): District(State) (जिला (राज्य)):

6. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):

(a) Name(नाम): AMIT SINGH

(b) Father's/Mother's/Husband's Name (पिता / माता / पति का नाम):

(c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष): 13/01/1989 (d) Nationality(राष्ट्रीयता): INDIA

(e) UID No(यूआईडी सं.):

(f) Passport No. (पासपोर्ट सं.):

Date of Issue (जारी करने की तिथि): Place of Issue (जारी करने का स्थान):

(g) Id details (Ration Card, Voter ID Card, Passport, UID No., Driving License, PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, पारपत्र, आधार कार्ड सं, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन)):

S.No.	Id Type	Id Number
-------	---------	-----------

(h) Occupation (व्यवसाय):

(i) Address(पता):

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	VILLAGE/POST-DHORMUI, BHARATPUR, UDHYOG NAGAR(BHARATPUR), BHARATPUR, RAJASTHAN, 321025,
2	स्थायी पता	VILLAGE/POST-DHORMUI, BHARATPUR, UDHYOG NAGAR(BHARATPUR), BHARATPUR, RAJASTHAN, 321025,

(j) Phone number

(दूरभाष न.):

Mobile (मोबाइल न.):

XXXXXXXXXX

7. Details of known/suspected/unknown accused with full particulars

(ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	KRISHAN KUMAR KHANDELWAL		पिता:RAMJILAL KHANDELWAL	1. LAXMANGARH,ALWAR,RAJAST

8. Reasons for delay in reporting by the complainant/informant

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9. Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary)

(सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ठ नत्थी करें)):

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		3,60,000.00

10. Total value of property stolen(In Rs/-) 3,60,000.00
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)):

11. Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)
--------------------	--------------------------------------

12. First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)

(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

वाक्यात मामला हाजा में निवेदन इस प्रकार है कि दिनांक 20.09.2024 को मन् अति. पुलिस अधीक्षक अमित सिंह को जरिये सूत्र सूचना मिली कि देवस्थान विभाग भरतपुर में पदस्थापित के. के. खण्डेलवाल सहायक आयुक्त अपने अधीन आने वाले देवस्थान विभाग के कार्यालयों से अवैध बसूली कर भारी धन राशि के साथ भरतपुर से जयपुर जायेगें। उक्त सूचना पर गोपनीय निगरानी रखने हेतु श्री रीतराम सिंह सहायक उप निरीक्षक को मामूर कर उपरोक्त स्वतंत्र गवाहान को तलब कर परिचय प्राप्त कर मन अति पुलिस अधीक्षक अमित सिंह मय हमराही जाप्ता श्री संतोष कुमार हैड कानि0 58, श्री हरभान सिंह कानि0 591, श्री विनोद सिंह कानि0 114, श्री राजेन्द्र सिंह कानि0 106, श्री अल्पेश कुमार निजी सहायक मय स्वतंत्र गवाहान एवं प्राईवेट गाडियों से मय सरकारी लेपटॉप, प्रिन्टर, विडियो कैमरा मय मैमोरी कार्ड के मुताबिक सूचना के कार्यालय से रवाना होकर सूचना अनुसार कुम्हेर गेट, हीरादास चौराहा भरतपुर होते हुए राष्ट्रीय राजमार्ग 21 सेवर पहुंचे। जहां मुताबिक सूत्र सूचना देवस्थान विभाग भरतपुर में पदस्थापित श्री कृष्ण कुमार खण्डेलवाल सहायक आयुक्त गाडी नं0 आर जे 22 सीबी 6430 में बैठ कर सारस चौराहा से जयपुर जा रहे हैं। उक्त सूचना पर मन अति0 पुलिस अधीक्षक मय हमराहीयान के सेवर से रवाना होकर लुधावई टोल प्लाजा राष्ट्रीय राजमार्ग 21 पर पहुंचा। जहां श्री रीतराम सिंह सहायक उप निरीक्षक उपस्थित मिले कुछ समय पश्चात उक्त नं. की क्रेटा गाडी सेवर की तरफ से आई जिसको हमराही जाप्ता की मदद से हाथ का ईशारा देकर रोका तो गाडी में चालक सहित कुल 05 लोग बैठे हुए थे। मन अति0 पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार सरकारी विडियो कैमरा से श्री राजेन्द्र सिंह कानि0 के माध्यम से विडियो ग्राफी प्रारम्भ करवाई जाकर मन् अति. पुलिस अधीक्षक ने अपना व हमराहीयान का परिचय देते हुए गाडी में बैठे हुए व्यक्तियों से अपने-अपने बैग व सामान हमराह साथ लेकर नीचे उतरने को कहा जिस पर उक्त व्यक्तियों ने गाडी की डिग्गी में रखे अपने अपने बैग निकालकर अपने पास रखे जिनको हमराही जाप्ता की मदद से हमराह लेकर टोल प्लाजा पर बने चैकपोस्ट/गार्ड रूम में लेकर पहुंचा। जहाँ पहले व्यक्ति से परिचय पूछा तो अपना नाम कृष्ण कुमार खण्डेलवाल (के. के. खण्डेलवाल) सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग भरतपुर होना बताया। जिसके पास एक नीले रंग का बैग है जिस पर LIVES SPORT लिखा हुआ है। बैग को स्वतंत्र गवाहान से चैक करवाया गया तो बैग के अन्दर कपडों के नीचे की चैन में 500-500 रूपये, 200-200 रूपये व 100-100 रूपये के नोटों की गड्डियों दिखाई दी जिनके संबंध में श्री के. के. खण्डेलवाल सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग भरतपुर से पूछा गया तो श्री के. के. खण्डेलवाल ने उक्त नोट कुल 3,60,000/-रूपये होना बताये और पूछने पर बताया कि ये रूपये मै प्लाट के लिए मेरे पिताजी से लाया हू जो लक्ष्मणगढ अलवर रहते है। तत्पश्चात् उक्त रूपयों को उसी अवस्था में बैग में ही रखा जाकर उक्त बैग को संदिग्ध राशि सहित स्वतंत्र गवाह श्री मणिक कैरो को संभलाया गया व अन्य व्यक्तियों से क्रमशः उनका नाम पता पूछा तो गाडी चलाने वाले व्यक्ति ने अपना लवी उर्फ भगवान सिंह पुत्र इन्द्रजीत जाति सरदार उम्र- 34 साल निवासी जसवंत नगर भरतपुर मोबाईल नं. - [REDACTED] होना बताया। जिसने पूछने पर बताया कि मैं उक्त गाडी का मालिक हूँ। आज मैं जयपुर अपने दोस्तो सहित जा रहा था। तो BlaBlacar कार एप से एक व्यक्ति ने कुम्हेर गेट से जयपुर जाने हेतु बुक किया था जिसको मै साथ लेकर गाडी में बिठा कर एक और यात्री को सारस चौराहा से लेकर जा रहा था तभी आप द्वारा मुझे रोक लिया। उक्त व्यक्ति के पास मिले बैग की तलाशी स्वतंत्र गवाह से लिवाई गई तो कोई संदिग्ध राशि या सामान नहीं मिला। अन्य व्यक्तियों से उनके नाम पता पूछे तो उन्होने अपने नाम क्रमशः विशाल राजपूत पुत्र लोकश राजपूत जाति राजपूत उम्र- 30 साल निवासी बुद्ध की हाट भरतपुर मोबाईल नं. - [REDACTED] चालक लवी सरदार का दोस्त एवं शिखर सिंह पुत्र देवेन्द्र पाल सिंह जाति जाट उम्र- 26 साल निवासी गौरी शंकर कोलोनी भरतपुर मोबाईल नं.- [REDACTED] यात्री एवं रोहित दुबे पुत्र सुशील कुमार जाति ब्रहाम्ण उम्र-34 साल निवासी अनाह गेट भरतपुर मोबाईल नं.- [REDACTED] चालक का दोस्त होना बताया। जिनके पास मिले बैगों की तलाशी स्वतंत्र गवाह मुकेश कुमार से लिवाई गई तो कोई संदिग्ध राशि या वस्तु नहीं मिली। अग्रिम कार्यवाही हेतु उक्त पाँचों व्यक्तियों को मय बैगों सहित कार्यालय टोल प्लाजा के प्रथम तल पर बने कक्ष में हमरा लेकर पहुँचा। जहाँ सदिग्ध के. के. खण्डेलवाल के बैग में मिली सदिग्ध राशि को स्वतंत्र गवाहान से गिनवाया गया तो 500-500 रूपये के 634 नोट कुल 3,17,000 रूपये तथा 200-200 रूपये के 108 नोट कुल 21,600 रूपये एवं 100-100 रूपये के 214 नोट कुल 21400 रूपये कुल राशि 3,60,000/-रूपये होना पायी गई। जिसके संबंध में पुनः श्री के के खण्डेलवाल से पूछा तो अपने पूर्व कथनों की पुष्टि की।

चंकि उक्त राशि संदिग्ध है जिसको कार्यवाही हाजा में बतौर बजह सबूत बैग से कपडे निकाल कर बैग में उक्त राशि को रख कर जप्त किया गया संदिग्ध कृष्ण कुमार खण्डेलवाल के जयपुर स्थित रिहायशी मकान की खाना तलाशी हेतु उच्च अधिकारियों को निवेदन किया गया। तत्पश्चात अन्य व्यक्तियों की उक्त कार्यवाही में भूमिका नहीं होने व के के खण्डेलवाल से कोई संबंध नहीं होने के कारण समझाईस कर रूखसत किया गया। बाद कार्यवाही रवाना होकर मय संदिग्ध राशि व के के खण्डेलवाल को हमराह लेकर मय हमराहीयान जासा व स्वतंत्र गवाहान मय प्राईवेट गाडी व संसाधनों के मौके से रवाना होकर एसीबी कार्यालय भरतपुर पहुंचा जहां संदिग्ध के के खण्डेलवाल सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग भरतपुर के मोबाईल नं० [REDACTED] से उनकी पत्नी श्रीमति रूचिका के मोबाईल नं० [REDACTED] पर समय 06.16 पीएम पर वार्ता करवाई जाकर संदिग्ध अधिकारी के कहे अनुसार संदिग्ध अधिकारी के पिता श्री रामजीलाल से संदिग्ध राशि के संबंध में मोबाईल का लाउड स्पीकर ऑन कर वार्ता करवाई गई जिसमें संदिग्ध अधिकारी के पिता जी के द्वारा हाल ही में कोई राशि अपने पुत्र के के खण्डेलवाल को नहीं देना बताया। उक्त वार्ता को विभागीय डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर मय मैमोरी कार्ड में रिकार्ड किया गया तथा उक्त वार्ता की कार्यवाही की विडियो ग्राफी करवाई गई जिसकी फर्द पृथक से तैयार की जावेगी तथा मोबाईल वार्ता का पृथक से फर्द रूपान्तरण तैयार किया जावेगा। संदिग्ध कृष्ण कुमार खण्डेलवाल (के के खण्डेलवाल) पुत्र श्री रामजीलाल जाति वैश्य उम्र 48 साल निासी विकास कॉलोनी लक्ष्मणगढ पुलिस थाना लक्ष्मणगढ जिला अलवर हाल निवासी मकान न बी-41 रीको हाउसिंग कॉलोनी जयपुर पुलिस थाना विधाधर नगर जयपुर हाल सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग भरतपुर के पास मिली संदिग्ध राशि 3,60,000 रूपये के संबंध में कोई संतोषप्रद जबाब नहीं देने से स्पष्ट है कि उक्त राशि अपने अधीनस्थ आने वाले कार्यालय से अवैध रूप से अर्जित किया जाना प्रथम दृष्टया पाया गया है। अतः संदिग्ध कृष्ण कुमार खण्डेलवाल सहायक आयुक्त का उक्त कृत्य एक दिवसीय आय से अधिक सम्पत्ति अन्तर्गत धारा 13(1) (बी), 13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) का मामला पाया जाता है। बाद सम्पन्न कार्यवाही संदिग्ध अधिकारी के. के. खण्डेलवाल को रूखसत किया। संदिग्ध राशि 3,60,000/- को जमा मालखाना करवाया गया। आरोपी कृष्ण कुमार खण्डेलवाल (के. के. खण्डेलवाल) पुत्र श्री रामजीलाल जाति वैश्य उम्र 48 साल निवासी विकास कॉलोनी लक्ष्मणगढ पुलिस थाना लक्ष्मणगढ जिला अलवर हाल निवासी मकान न बी-41 रीको हाउसिंग कॉलोनी जयपुर पुलिस थाना विधाधर नगर जयपुर हाल सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग भरतपुर के पास मिली संदिग्ध राशि 3,60,000 को अवैध मानते हुए स्वयं को लोकसेवक होकर समृद्ध करने के आशय से अवैध रूप से बसूली गई संदिग्ध राशि 3,60,000 /-रूपये को एक दिवसीय अवैध आय मानते हुए धारा 13(1)(बी), 13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) मे बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट वास्ते कायमी जुर्म श्रीमान की सेवामें सादर प्रेषित है। भवदीय (अमित सिंह) अति. पुलिस अधीक्षक, एसीबी भरतपुर।.....कार्यवाही पुलिस..... प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री अमित सिंह, अति. पुलिस अधीक्षक, एसीबी भरतपुर ने प्रेषित की है मजमून रिपोर्ट से जुर्म अर्न्तगत धारा 13(1)(बी), 13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री कृष्ण कुमार खण्डेलवाल पुत्र श्री रामजीलाल खण्डेलवाल जाति वैश्य उम्र 48 साल निवासी लक्ष्मणगढ जिला अलवर हाल सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग भरतपुर के विरुद्ध पंजिबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार जारी की गई। उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्री सुरेन्द्र सिंह, उप पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, धौलपुर को मनोनीत किया गया है उक्त की रोजनामचा आम रिपोर्ट 83 पर अंकित है। (ज्ञान सिंह चौधरी) पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर। क्रमांक 1394-97 दिनांक 08-11-2024 प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्य हेतु प्रेषित है:- 1-विशिष्ट न्यायधीश एवं सेशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, भरतपुर। 2-शासन उप सचिव, कार्मिक (क-3/शिकायत) विभाग, राजस्थान, जयपुर। 3-उप महानिरीक्षक पुलिस-तृतीय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर। 4-अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, भरतपुर। पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.

(की गई कार्यवाही: चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत है):

(1) Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):

or (या)

(2) Directed (Name of I.O.): SURENDRA Rank उप अधीक्षक पुलिस/पुलिस उपाधीक्षक
(जाँच अधिकारी का नाम): SINGH (पद):

No(सं.): to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)

(3) Refused investigation due to

(जाँच के लिए):

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) Transferred to P.S.(थाना):

District (जिला):

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.


(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई।)

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. Signature/Thumb impression of the complainant / informant
(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):

Signature of Officer in charge, Police Station
(थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Gyan Singh
Choudhary
Location: Rajasthan, IN
Date: 07/04/2024 11:05:05



15. Date and time of dispatch to the court
(अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):

Name(नाम): GYAN SINGH CHOUDHARY

Rank (पद): SP (Superintendant of Police)

No(सं.):

N.C.R.B/एन.सी.आर.बी
I.I.F.-I /एकीकृत जाँच फार्म-I

Attachment to Item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियों और अन्य विवरण : (यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	16/09/1976				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियों/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दंत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्ता)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है।)